सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–09 बुधवार, दिनांक–15 मार्च, 2023 ई०।

मानननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:17 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में विपक्ष के माननीय सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर सदन में सूनेपन की बात कही। सरकार चाहती है कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण भी सदन में रहे। उन्होंने सरकार की तरफ से विपक्ष के माननीय सदस्यों को सदन में लाने के प्रयास हेतु आसन से आग्रह किया।

तत्पश्चात आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा भी कल की घटना पर संक्षिप्त रूप में अपना पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि यदि विपक्ष के माननीय सदस्य खेद प्रकट करे तो अच्छा होगा। संसदीय व्यवस्था में सदन चलाने की जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। इसलिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वे सदन में आयें और संसदीय कार्य में सम्मिलित हों।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 25 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 21 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(v) तारांकित प्रश्न संख्या–391 पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित।
(vi) तारांकित प्रश्न संख्या–1471 ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।
(vii) तारांकित प्रश्न संख्या–1477 ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।
(viii) 243 तारांकित प्रश्न अनागत।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री विजय कुमार खेमका द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i) श्रीमती मंजु अग्रवाल (ii) श्री इजहारूल हुसैन

(iii) श्री गोपाल रविदास
(iv) श्री राम रतन सिंह
(v) श्री महा नंद सिंह
(vi) श्री भरत बिंद
(vii) श्री मुकेश कुमार यादव
(viii) श्री अजीत कुमार सिंह
(ix) श्री रामवृक्ष सदा
(x) श्री मुहम्मद इजहार असफी
(xi) श्री रामबली सिंह यादव
(xii) श्री अजय कुमार
(xiii) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xiv) श्री सुर्यकान्त पासवान
(xv) श्री अरूण सिंह
(xvi) श्री रणविजय साहू
(xvii) श्री मनोज मंजिल
(xviii) श्री सत्यदेव राम
(xix) श्री ललित नारायण मंडल
(xx) श्री सुदामा प्रसाद

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव एवं अन्य सभासदों का पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण की सूचना अपृष्ठ हुई।

(ii) माननीय सदस्य, डॉ0 रामानुज प्रसाद एवं अन्य सभासदों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, डॉ0 रामानुज प्रसाद द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसके उत्तर के लिए समय लिया गया।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रत्यायुक्त विधान समिति का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या–01 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] वित्तीय कार्य :–वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड–05 उद्योग विभाग; पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग; अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा पर्यटन विभाग] पर वाद–विवाद तथा मतदान।

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से उद्योग विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आज सदन में विपक्षी दल के माननीय सदस्यों के सदन में न होने की स्थिति में माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा यह भाव प्रकट किया गया कि विपक्ष भी सरकार के अंग हैं और उनके न रहने से सदन सूना है, इसलिए उनके द्वारा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सदन में बुलाने का आसन से अनुरोध किया गया। इस संदर्भ में भोजनावकाश में माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलीय नेताओं से विमर्श किया गया और उनसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध किया गया।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा से अनुरोध किया गया कि जिन्हें सदन से निष्कासित नहीं किया गया है, उन्हें सदन में आने का आग्रह करें।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा आसन के इस सार्थक प्रयास के लिए आभार प्रकट किया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में उपस्थित हुए।

आसन की अनुमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि सदन में गतिरोध एक स्वाभाविक घटना है और सभी को मिलकर इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास करना होगा। उनके द्वारा कहा गया कि दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें तो समाधान निकलेगा। साथ ही उनके द्वारा माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन का निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया गया।

आसन द्वारा सदन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन को सदन में लाने के लिए मार्शल को निदेश दिया गया।

तदुपरान्त आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन द्वारा कल की घटना के लिए दुःख प्रकट किया गया, जिसके उपरान्त आसन द्वारा उनके शेष अवधि के निलंबन से मुक्त करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया, जो सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित हुआ।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम द्वारा भी कल की घटना के लिए खेद प्रकट किया गया।

आसन द्वारा कहा गया कि सदन में खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि इससे संसदीय प्रणाली मजबूत होती है। यही संसदीय परम्परा लोकतंत्र की खुबसूरती है।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा आसन को धन्यवाद दिया गया एवं कहा गया कि हम सब मिलकर बिहार की उन्नति के लिए कार्य करें।

इसके उपरान्त माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात अनुदानों की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:–

1. श्री फते बहादुर सिंह
2. श्री श्याम बाबू प्रसाद

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

3. श्रीमती शालिनी मिश्रा
4. श्री इजहारूल हुसैन
5. श्री राम सिंह
6. डॉ० शकील अहमद खाँ
7. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
8. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
9. श्री अजय कुमार
10. श्री सुर्यकांत पासवान
11. श्री विद्या सागर केशरी
12. श्री चन्द्रहास चौपाल
13. श्रीमती प्रतिमा कुमारी
14. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह
15. श्री मुहम्मद इजहार असफी
16. श्री रामवृक्ष सदा

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

तत्पश्चात माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्री मो० जमा खान तथा माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, श्रीमती अनिता देवी द्वारा अपने–अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में अपना–अपना पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा वाद–विवाद का उत्तर दिया गया।

इस दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा उद्योग विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] <u>निवेदन</u> :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 48 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक–16 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–15.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।